प्रेषक,

उमेश कुमार–II
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/
विशेष न्यायाधीश, पॉक्सो ऐक्ट (अनन्य)
जौनपुर।

सेवा में,

महानिबंधक,
माननीय उच्च न्यायालय,
इलाहाबाद।

द्वारा, जनपद न्यायाधीश,
जौनपुर।

विषय– वित्त (सामान्य) अनुभाग–3, उत्तर प्रदेश शासन द्वारा निर्गत शासनादेश संख्या 14/2024/सा–3–243/दस–2024/301(1)/2024 दिनांकित 28.06.2024 के अनुसरण में पुरानी पेंशन योजना के चयन हेतु प्रेषित विकल्प पत्र पर अंकित आपत्ति के निराकरण के सम्बन्ध में।

महोदय,

सादर अवगत कराना है कि उपरोक्त विषयक शासनादेश के अनुसरण में प्रार्थी द्वारा पुरानी पेंशन योजना के चयन/वरण हेतु विकल्प पत्र माननीय जनपद न्यायाधीश, जौनपुर द्वारा अग्रसारित कराते हुए दिनांक 13.08.2024 को प्रेषित किया गया था तथा उसे ऑनलाइन मोड में अपने ई–सर्विसेज जे0ओ0 पोर्टल पर भी अपलोड कर दिया गया था।

किन्तु उक्त प्रेषित विकल्प पत्र के सम्बन्ध में प्रार्थी के उक्त ई–सर्विसेज जे0ओ0 पोर्टल पर एडमिन ए–1 की तरफ से इस आशय की आपत्ति अंकित की गई है कि उपरोक्त विषयक शासनादेश दिनांकित 28.06.2024 के प्रकाश में निर्गत विकल्प पत्र को विभागाध्यक्ष/जिला न्यायाधीश द्वारा अग्रसारित नहीं किया गया है और तद्नुसार उक्त अंकित आपत्ति का निराकरण करते हुए पुनः उक्त विकल्प पत्र को सम्बन्धित विभागाध्यक्ष/जिला न्यायाधीश द्वारा हस्ताक्षरित करते हुए सील मोहर सहित प्रेषित करने एवं ई–सर्विसेज जे0ओ0 पोर्टल पर अपलोड करने हेतु निर्देशित किया गया है।

अतः उपरोक्त विषयक शासनादेश के अनुसरण में निर्धारित विकल्प पत्र प्रार्थी द्वारा पुनः उपरोक्त आपत्तियों का निराकरण करते हुए प्रेषित किया जा रहा है। तद्नुसार अनुरोध है कि उपरोक्त प्रकरण को माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर यथा आवश्यक अग्रेतर कार्यवाही करने की महती कृपा करें।

सादर।

दिनांक–13.09.2024

भवदीय,

13/9/2024

(उमेश कुमार–II)
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/
विशेष न्यायाधीश, पॉक्सो ऐक्ट (अनन्य)
जौनपुर।

संलग्नक–
1. यथोपरि विकल्प पत्र।
2. पूर्व प्रेषित पत्र दिनांकित 13.08.2024 की छायाप्रति।

कार्यालय जनपद न्यायाधीश जौनपुर
पत्रांक A2634/II दिनांक 13.09.24
अग्रसारित
जनपद न्यायाधीश
जौनपुर

शासनादेश संख्या 20/2024/सा 3-276/दस-2024/301(1)/2024 दिनांक-11.07.2024 का संलग्नक।

विकल्प पत्र

1. नाम-उमेश कुमार-II
2. वर्तमान पदनाम-अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश, पॉक्सो ऐक्ट (अनन्य), जौनपुर।
3. वेतनमान-144840-194660 (J5)
4. वर्तमान विभाग का नाम-जिला एवं सत्र न्यायालय, जौनपुर।
5. राज्य सरकार के अधीन प्रथम नियुक्ति के पद पर भर्ती हेतु विज्ञप्ति जारी करने वाले विभाग का नाम-नियुक्ति विभाग (अनुभाग-4), उ.प्र. शासन।
6. विज्ञप्ति की तिथि-15.11.2003 (विज्ञापन संख्याः ए-2/ई-1/2003)
7. विज्ञप्ति के सापेक्ष नियुक्ति की तिथि-उ0प्र0 शासन नियुक्ति अनुभाग-4 द्वारा निर्गत शासनादेश संख्या-2430/II-04-06-32(1) 2001 T.C.-1 Dated : 26.05.2006, माननीय उच्च न्यायालय द्वारा निर्गत अधिसूचना संख्या-1101/DR(S) 2006 Dated 13.06.2006.
8. योगदान की तिथि-16.06.2006
9. जन्मतिथि-06.07.1977
10. सेवानिवृत्ति की तिथि-31.07.2037

मैं, उमेश कुमार-II पुत्र श्री जगदीश प्रसाद शासनादेश संख्या-14/2024/सा-3-243/ दस-2024/301(1)/2024 दिनांक-28.06.2024 के अन्तर्गत पुरानी पेंशन योजना (✓) ~~नवीन पेंशन योजना~~ (x) में सम्मिलित होने का विकल्प देता हूँ। मेरे द्वारा दिया गया यह विकल्प अंतिम समझा जाये।

हस्ताक्षर 13/7/24
नाम-उमेश कुमार-II
पदनाम-अपर जिला एवं सत्र
न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश, पॉक्सो
एक्ट (अनन्य), जौनपुर।

घोषणा पत्र

मैं उमेश कुमार-II, पदनाम-अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश, पॉक्सो ऐक्ट (अनन्य), जौनपुर यह घोषणा करता हूँ कि उपरोक्त क्रम संख्या-01 से 10 तक अंकित तथ्य मेरी जानकारी में सही है तथा मेरे द्वारा कोई भी तथ्य छिपाया नहीं गया है।

हस्ताक्षर 13/7/24
नाम-उमेश कुमार-II
पदनाम-अपर जिला एवं सत्र
न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश, पॉक्सो
एक्ट (अनन्य), जौनपुर।

संबंधित कार्यालयाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष द्वारा भरा जाएगा।

श्री उमेश कुमार-II, पदनाम-अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश, पॉक्सो ऐक्ट (अनन्य), जौनपुर को उपरोक्त तथ्यों के आधार पर पुरानी पेंशन योजना (✓) ~~नवीन पेंशन योजना~~ (x) में सम्मिलित किये जाने हेतु इस विभाग की संस्तुति/सहमति प्रदान की जाती है।

कार्यालयाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष की संस्तुति
जनपद न्यायाधीश

प्रेषक,

उमेश कुमार-II
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/
विशेष न्यायाधीश, पॉक्सो ऐक्ट (अनन्य),
जौनपुर।

सेवा में,

महानिबंधक,
माननीय उच्च न्यायालय,
इलाहाबाद।

द्वारा,

जनपद न्यायाधीश,
जौनपुर।

विषय- वित्त (सामान्य) अनुभाग-3, उत्तर प्रदेश शासन द्वारा निर्गत शासनादेश संख्या-14/2024/सा-3-243/दस-2024/301(1)/2024 दिनांक-28.06.2024 तथा शासनादेश सं0-20/2024/सा-3-276/दस-2024/ 301(1)/2024 दिनांक 11.07.2024 के क्रम में विकल्प का प्रयोग करके पुरानी पेंशन योजना का चयन (वरण) किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक अवगत कराना है कि लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश के द्वारा दिनांक 15 नवम्बर, 2003 को उ0प्र0 न्यायिक सेवा सिविल जज (जूनियर डिवीजन) के 347 रिक्त पदों पर भर्ती हेतु विज्ञापन संख्या-ए-2/ई-1/2003 प्रकाशित कराया गया था। उक्त के क्रम में अधोहस्ताक्षरी ने तत्समय अपना आवेदन प्रस्तुत करते हुए उ0प्र0 लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित प्रारम्भिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा एवं साक्षात्कार को उत्तीर्ण करते हुए अन्तिम चयन सूची में स्थान पाया था तथा उ0प्र0 सरकार के द्वारा निर्गत अधिसूचना संख्या-2430/II-4-06-32(1) 2001 T.C.-1 दिनांक-26.05.2006 एवं उक्त क्रम में माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद की अधिसूचना संख्या-1101/DR(S)/2006 दिनांक-13.06.2006 (प्रति संलग्न) के द्वारा अधोहस्ताक्षरी की नियुक्ति अपर सिविल जज (जूनियर डिवीजन), प्रतापगढ़ के पद पर हुई थी। उक्त के अनुपालन में अधोहस्ताक्षरी द्वारा अपर सिविल जज (जूनियर डिवीजन), प्रतापगढ़ का पदभार दिनांक-16.06.2006 को ग्रहण कर लिया गया था।

तत्समय प्रचलित व्यवस्था के अनुसार अधोहस्ताक्षरी की सेवाएं राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली से आच्छादित मानते हुए अधोहस्ताक्षरी के वेतन से नियमानुसार तथा अनिवार्य रूप से अंशदान की कटौती PRAN संख्या-110082204590 में अद्यतन जमा किया जा रहा है। यह भी अवगत कराना है कि अधोहस्ताक्षरी वर्तमान में जिला एवं सत्र न्यायालय, जौनपुर में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश, पॉक्सो ऐक्ट (अनन्य) के रूप में कार्यरत है।

उपरोक्त के परिप्रेक्ष्य में सादर निवेदन है कि वित्त (सामान्य) अनुभाग-3 उ0प्र0 शासन द्वारा निर्गत शासनादेश संख्या-14/2024/सा-3-243/दस-2024/301(1)/2024 दिनांक-28.06.2024 (प्रति संलग्न) में शासन द्वारा यह व्यवस्था प्रदान की गयी है कि उ0प्र0 सरकार के समस्त कर्मी जिन्हें उस पद रिक्त के सापेक्ष नियुक्त किया गया है, जिसे भर्ती/नियुक्ति के लिए राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली अधिसूचना की दिनांक अर्थात् दिनांक-28.03.2005 के पूर्व विज्ञापित/ अधिसूचित किया गया था और दिनांक-01.04.2005 को अथवा उसके पश्चात सेवा में कार्यभार ग्रहण करने पर राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अन्तर्गत कवर किया गया है, "उ0प्र0 रिटायरमेंट बेनिफिट्स रूल्स, 1961" के अधीन कवर किये जाने के लिए एक बार विकल्प दिया जाय। उक्त शासनादेश में यह भी व्यवस्था प्रदान की गयी है कि उक्त विकल्प संबंधित प्रशासकीय विभाग के समक्ष प्रस्तुत किये जाएंगे। इसी संबंध में माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा पत्र संख्या 9691/IV-F-82 (Pension/Admin.(A) Dated: July 16, 2024) भी निर्गत किया गया है।

उक्त शासनादेश दिनांक 28.06.2024 के परिप्रेक्ष्य में अधोहस्ताक्षरी के द्वारा उपरोक्त अंकित प्रथम प्रस्तर में स्पष्ट किया जा चुका है कि अधोहस्ताक्षरी के उ0प्र0 न्यायिक सेवा में चयन हेतु जिस विज्ञापन के सापेक्ष उ0प्र0 लोक सेवा आयोग द्वारा परीक्षा आयोजित की गयी थी, वह विज्ञापन दिनांक-15 नवंबर, 2003 को प्रकाशित हुआ था। अर्थात् प्रश्नगत शासनादेश दिनांक 28.06.2024 में वर्णित राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली की अधिसूचना की तारीख अर्थात् दिनांक 28.03.2005 से पूर्व का है। इस प्रकार अधोहस्ताक्षरी का यह विनम्र निवेदन है कि वह वित्त (सामान्य) अनुभाग-3 उ0प्र0 शासन, लखनऊ द्वारा निर्गत शासनादेश संख्या-14/2024/सा-3-243/दस-2024/301(1)/2024 दिनांक-28.06.2024 की शर्तों को पूर्ण करता है और तद्नुसार अधोहस्ताक्षरी पुरानी पेंशन प्रणाली (उ0प्र0 रिटायरमेंट बेनिफिट्स रूल्स, 1961) का चयन/वरण करने हेतु अर्ह है।

अतः अधोहस्ताक्षरी एतद्द्वारा वित्त (सामान्य) अनुभाग-3 उ0प्र0 शासन, के शासनादेश संख्या-14/2024/सा-3-243/दस-2024/301(1)/2024 दिनांक-28.06.2024 द्वारा प्रदत्त विकल्प का वरण करते हुए पुरानी पेंशन प्रणाली (उ0प्र0 रिटायरमेंट बेनिफिट्स रूल्स, 1961) के अधीन आच्छादित/कवर किये जाने का चयन/वरण करता है तथा उ0प्र0 शासन के शासनादेश संख्या 20/2024/सा-3-276/दस-2024/ 301(1)/2024 दिनांक 11.07.2024 एवं माननीय उच्च न्यायालय द्वारा तद्क्रम में निर्गत पत्र संख्या-9691/IV-F-82 (Pension/Admin.(A) दिनांकित 16.07.2024 द्वारा प्रदत्त निर्देशों के अनुक्रम में अधोहस्ताक्षरी उक्त शासन के साथ संलग्न प्रारूप को भरकर प्रस्तुत पत्र के साथ संलग्न कर श्रीमान् जी के माध्यम से माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर रहा है।

तद्क्रम में आपसे अनुरोध है कि उपरोक्त के दृष्टिगत प्रकरण को माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर यथाआवश्यक अग्रेतर कार्यवाही करने की महती कृपा करें।

सादर।

दिनांक-13.08.2024

भवदीय

13/8/24.

(उमेश कुमार-II)
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/
विशेष न्यायाधीश, पॉक्सो ऐक्ट (अनन्य),
जौनपुर।
जे0 ओ0 कोड-यू0 पी0 6322

संलग्नकः-

1. शासनादेश संख्या-14/2024/सा-3-243/दस-2024/301(1)/2024 दिनांक-28.06.2024 की छायाप्रति,
2. उक्त शासनादेश दिनांक 28.06.2024 के अनुक्रम में विकल्प हेतु जारी शासनादेश संख्या 20/2024/सा-3-276/दस-2024/301(1)/2024 दिनांक-11.07.2024 की छायाप्रति,
3. उ0प्र0 न्यायिक सेवा सिविल जज (जूनियर डिवीजन) के 347 रिक्त पदों पर भर्ती हेतु विज्ञापन संख्या-ए-2/ई-1/2003 की छायाप्रति,
4. उ0प्र0 सरकार के द्वारा निर्गत अधिसूचना संख्या-2430/II-4-06-32(1) 2001 T.C.-1 दिनांक-26.05.2006 की छायाप्रति एवं उक्त क्रम में माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद की अधिसूचना संख्या-1101/DR(S)/2006 दिनांक-13.06.2006 की छायाप्रति,
5. माननीय उच्च न्यायालय की वेबसाइट पर उपलब्ध अधोहस्ताक्षरी की प्रोफाइल की छायाप्रति,
6. माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के पत्रांक संख्या 9691/IV-F-82 (Pension/Admin.(A) Dated: July 16, 2024) की छायाप्रति।

13/8/24.

(उमेश कुमार-II)
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/
विशेष न्यायाधीश, पॉक्सो ऐक्ट (अनन्य),
जौनपुर।

कार्यालय जनपद न्यायाधीश जौनपुर
पत्रांक JA 2342/II दिनांक 13.08.24
अग्रसारित

जनपद न्यायाधीश
जौनपुर